## कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़।

विषय:—जनपद—चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड़ से घतोड़ा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/9783/2015

महोदय,

भारत सरकार के सन्दर्भित आपित के अनुपालन में आनलाईन उपलब्ध करायी गई सूचना चाही गई सूचना के अनुरूप नहीं है। आप के द्वारा आनलाईन उपलब्ध करायी गई सूचना Form A के Part I तथा Part II में यथास्थान अपलोड़ नहीं की गई है। अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की सूचना Part I एवं Part II में यथास्थान अपलोड़ करने के साथ मय बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें, तथा आपके द्वारा भेजा गयी सूचना अपठिनय है, तािक प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। जिन बिन्दुओं पर भारत सरकार को पूर्ण सूचना भेजी जानी है, उन बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार हैं।

1. In the reply to point no.2, it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online Part –I. the muck disposal is proposed to be done on Napland, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00ha in para-A-1(ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para B-2.4 of online Part-I. Further, the non forest land has not been shown in Para-B-2.1, B-2.2, B-2.3 of online Part-I also.

## | कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर | | पत्रांक 4820/ 12017

प्रतिलिपि:— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड़, लो०नि०वि०, कर्णप्रयोग को इस आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर लगाई गई आपित्तियों का निराकरण करते हुये इस कार्यालय को सूचित करने का

> प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वृत्र प्रभाग, गोपेश्वर।